

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

डा० मो० तजम्मूल हुसैन पासा,
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण ।

पटना, दिनांक :

विषय: दिनांक 20.07.2018 से 20.08.2018 तक विदेश (सउदी अरब) हज हेतु जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपका आवेदन दिनांक 20.06.2018 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ दिनांक 20.07.2018 से 20.08.2018 तक विदेश (सउदी अरब) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
- 2) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
- 3) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- 4) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- 5) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
- 6) प्रवास से लौटने पर पुनः यथावत अपना योगदान करेंगे ।
- 7) उपार्जित अवकाश संचित हो ।
- 8) डा० मो० तजम्मूल हुसैन पासा मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को सउदी अरब प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 575(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 18/7/2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, क्ति (वि०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सिविल सर्जन से अनुरोध है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के प्रभार की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी